अध्याय - I

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

अध्याय – I

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

परिचय

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। जन–कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सा0क्षे0उ0 की स्थापना, व्यावसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए, की जाती है। सितम्बर 2014 तक अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, बिहार में राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने 2013–14 में ₹ 7,924.89 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। बिहार राज्य की सा0क्षे0उ0 की अधिकांश गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में केन्द्रित हैं। उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 11.86 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2014 को उन्होंने 0.17 लाख[1] कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था।

1.2 31 मार्च 2014 को सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या 73 थी जिनका विवरण तालिका संख्या – 1.1 में दर्शाया गया है। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

तालिका संख्या – 1.1

सा0क्षे0उ0 का प्रकार	कार्यशील सा0क्षे0उ0	अकार्यशील सा0क्षे0उ0[2]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[3]	30	40	70
सांविधिक निगमें	3	–	3
योग	**33**	**40**	**73**

1.3 उपरोक्त 30 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में दो कम्पनियाँ यथा पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एवं लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड सम्मिलित हैं जिनका समामेलन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन क्रमशः 11 अप्रैल 2008 एवं 23 अप्रैल 2008 को हुआ था।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी का कम–से–कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–बी के अनुसार ऐसी कम्पनी, जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती हैं।

1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखों की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसार भारत के

---

[1] 41 सा0क्षे0उ0 के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।

[2] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 वो हैं जिन्होंने अपने कार्य को बन्द कर दिया है।

[3] 619–बी कम्पनियाँ सहित।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से अधिशासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि0रा0प0प0नि0) हेतु सी0ए0जी0 एकल लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य भण्डारण निगम (बि0रा0भ0नि0) एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि0रा0वि0नि0) की लेखापरीक्षा सन्दी लेखाकारों एवं सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

1.7 31 मार्च 2014 को, राज्य सा0क्षे0उ0 में ₹ 28,220.98 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण तालिका संख्या–1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 1.2

(₹ करोड़ में)

सा0क्षे0उ0 के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगमें			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील सा0क्षे0उ0	17957.07	8573.10	26530.17	185.53	776.26	961.79	27491.96
अकार्यशील सा0क्षे0उ0	180.79	548.23	729.02	–	–	–	729.02
कुल	**18137.86**	**9121.33**	**27259.19**	**185.53**	**776.26**	**961.79**	**28220.98**

राज्य सा0क्षे0उ0 में सरकारी निवेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण ***परिशिष्ट–1.1*** में दिया गया है।

1.8 31 मार्च 2014 तक राजकीय सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश का 97.42 प्रतिशत कार्यशील सा0क्षे0उ0 में तथा शेष 2.58 प्रतिशत अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में था। इस कुल निवेश का 64.93 प्रतिशत अंश पूँजी के लिये तथा 35.07 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। यह निवेश 2008–09 के ₹ 9,140.69 करोड़ से 208.74 प्रतिशत बढकर 2013–14 में ₹ 28,220.98 करोड़ हो गया, जैसा कि आरेखन संख्या – 1.1 में दर्शाया गया है।

आरेखन संख्या – 1.1

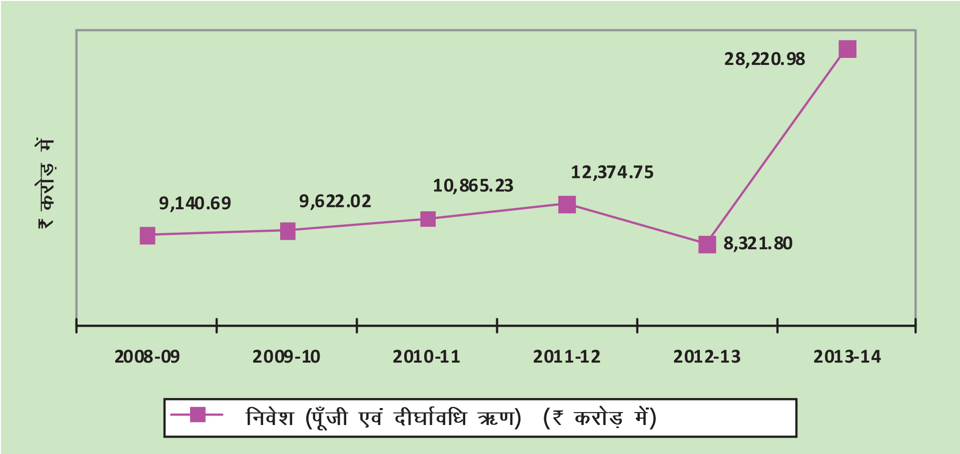

1.9 31 मार्च 2009 तथा 31 मार्च 2014 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता आरेखन संख्या–1.2 में दी गयी हैं। विगत छः वर्षों में सा0क्षे0उ0 में निवेश का मुख्य प्रतिबल ऊर्जा क्षेत्र में था। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच[4] कम्पनियों में विघटन के फलस्वरूप एवं राज्य सरकार से बजटीय सहायता प्राप्त होने के कारण वर्तमान वर्ष की अवधि में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश वर्ष 2008–09 के ₹ 7,475.19 करोड़ से 214.83 प्रतिशत बढकर 2013–14 में ₹ 23,534.17[5] करोड़ हो गया । 2008–09 की तुलना में 2013–14 में अन्य क्षेत्रों में निवेश में 181.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आरेखन संख्या – 1.2

महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश (₹ करोड़ में)

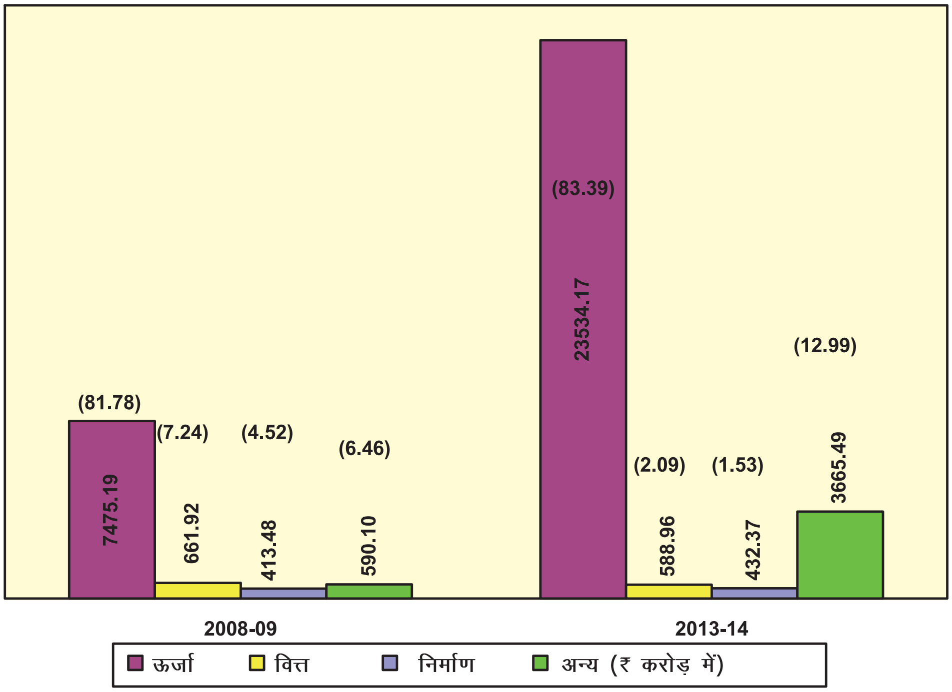

(कोष्ठक में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।)

बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/अर्थसाहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण

1.10 राज्य सा0क्षे0उ0 के सम्बन्ध में पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थसाहाय्य में बजटीय बहिर्गमन का विवरण ***परिशिष्ट–1.2*** में दिया गया है। 2013–14 को समाप्त हुए तीन वर्षों का साराशीकृत विवरण तालिका संख्या – 1.3 में दर्शाया गया है।

[4] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

[5] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (₹ 8923.96 करोड़), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 2005.42 करोड़), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 2307.08 करोड़), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 2170.84 करोड़) एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 2268.85 करोड़) में संवितरित ₹ 17676.15 करोड की अंश पूँजी सम्मिलित।

तालिका संख्या – 1.3

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2011–12		2012–13		2013–14	
		सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	2	2.00	4	1,481.94	4	744.73
2.	बजट से दिये गये ऋण	4	1,464.87	4[6]	677.17[7]	4	1079.54
3.	प्राप्त अनुदान/ अर्थसाहाय्य	1	2,120.24	6[8]	2,934.97[9]	6	2060.29
4.	कुल बहिर्गमन[10]	6	3,587.11	11	5,094.08	11	3884.56
5.	अपलिखित ब्याज/ दांडिक ब्याज	–	–	–	–	–	–
6.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	–	–	–	–	5	2648.83
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	1	3.47	2	73.06	5	2910.89

1.11 पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के लिए विगत छः वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण आरेखन संख्या – 1.3 में दिया गया है :

आरेखन संख्या – 1.3

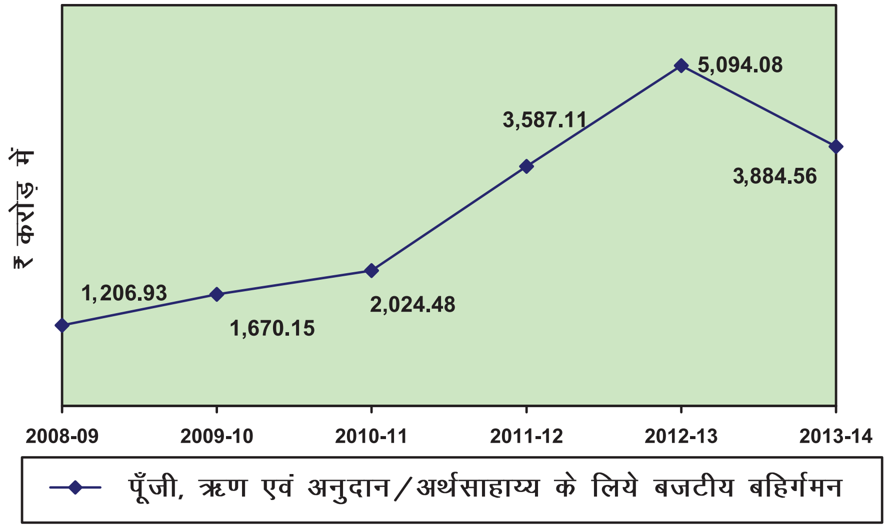

---

6 इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्मिलित है।
7 इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्राप्त ऋण सम्मिलित है।
8 इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्मिलित है।
9 इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्राप्त अर्थसाहाय्य सम्मिलित है।
10 वर्ष के दौरान कुल बहिर्गमन, अंशों, ऋणों, एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के रुप में कम्पनियों (वास्तविक संख्या) को दिये गये बजटीय समर्थन को दर्शाता है।

राज्य सरकार द्वारा, अंश पूँजी, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्य के रूप में 2008–09 से 2013–14 के वर्षों में बजटीय समर्थन बढ़ते हुए रुख को दर्शाता है। बजटीय समर्थन 2008–09 के ₹ 1206.93 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 3,884.56 करोड़ हो गया। वर्ष 2013–14 की अवधि में, ₹ 3,884.56 करोड़ में से, ऊर्जा क्षेत्र ने राज्य सरकार से कुल ₹ 2,867.02 करोड़ (राज्य सरकार से प्राप्त कुल बजटीय समर्थन का 73.80 प्रतिशत) का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया। वर्ष के अंत में, पाँच[11] सा0क्षे0उ0 के मामले में ऋणों की प्रत्याभूतियों के मद में कुल ₹ 2910.89 करोड़ बकाया था। प्रत्याभूति कमीशन मद में, बिहार राज्य वित्त निगम के विरुद्ध वर्ष 1982–83 तक की अवधि से संबंधित ₹ 8.87 लाख एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैन्य आपूर्ति निगम लिमिटेड के विरुद्ध वर्ष 2013–14 की अवधि से संबंधित कुल ₹ 1.63 करोड़ बकाया थे।

वित्तीय लेखों के साथ समाशोधन

1.12 राज्य सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित सा0क्षे0उ0 एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाशोधन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2014 की स्थिति का विवरण तालिका संख्या – 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 1.4

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखों[12] के अनुसार राशि	सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	491.51	10164.99	9673.48
ऋण	4031.72	4691.99	660.27
प्रत्याभूतियाँ	789.23	2910.89	2121.66

1.13 महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा, जाँचोपरांत समाशोधन करने हेतु, राज्य के मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव का ध्यान आकृष्ट किया गया (अक्टूबर 2011) तथा अद्यतन स्मारपत्र प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार को नवंबर 2014 में भेजा गया। तथापि, इस पर अभी तक (सितम्बर 2014) कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार तथा सा0क्षे0उ0 को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन

1.14 सभी सा0क्षे0उ0 के वित्तीय परिणाम ***परिशिष्ट–1.3*** में वर्णित हैं। सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम ***परिशिष्ट–1.4 एवं 1.5*** में क्रमशः वर्णित हैं।

1.15 अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, 33 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 14 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 240.12 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 15 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 203.16 करोड़ की हानि वहन की। शेष चार सा0क्षे0उ0 में से दो[13] सा0क्षे0उ0 ने

---

[11] बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैन्य आपूर्ति निगम लिमिटेड।

[12] ये सूचनाएँ उन 46 सा0क्षे0उ0 (73 सा0क्षे0उ0 में से) के सम्बन्ध मे हैं जिनका उल्लेख राज्य के वित्त लेखों मे किया गया है।

[13] बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड।

अपने प्रथम लेखाओं को समर्पित किया जिसमें शून्य लाभ/हानि शामिल था एवं दो[14] सा0क्षे0उ0 ने अभी तक (सितम्बर 2014) अपने प्रथम लेखे अन्तिमीकृत नहीं किए थे। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 106.99 करोड़), बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 37.36 करोड़) एवं बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड (₹ 39.28 करोड़) मुख्य थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 74.26 करोड़), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 22.79 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 57.69 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

1.16 सी0ए0जी0 के विगत तीन वर्षो की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने ₹ 1,224.28 करोड़ की नियंत्रणीय हानि वहन की, तथा ₹ 55.79 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्ष–वार विवरण तालिका संख्या 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 1.5

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	योग
सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियन्त्रणीय हानियाँ	852.42	103.78	268.08	1,224.28
निष्फलित निवेश	21.48	1.81	32.50	55.79

1.17 सी0ए0जी0 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित उपर्युक्त हानियाँ सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित है। वास्तविक नियन्त्रणीय हानियाँ इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। उपर्युक्त तालिका सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों में प्रभावी प्रबन्धन तथा नियंत्रण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता इंगित करती हैं।

1.18 राज्य सरकार ने निवेश की गयी राशि पर आय सुनिश्चित करने हेतु ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी, जिसके अन्तर्गत सभी सा0क्षे0उ0 को न्यूनतम लाभांश देना हो। 14 सा0क्षे0उ0 ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 240.12 करोड़ का लाभ अर्जित किया। परन्तु 14 सा0क्षे0उ0 में से मात्र तीन कम्पनियों अर्थात, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बिवरेजेज़ निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 1.05 करोड़, ₹ 6.00 करोड़ एवं ₹ 0.50 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया।

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

1.19 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619–बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। नीचे दी गयी तालिका संख्या–1.6 में कार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा सितम्बर 2014 तक लेखों के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति के विवरण को दर्शाता है।

[14] पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एवं लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड।

तालिका संख्या – 1.6

क्रम संख्या	विवरण	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1.	कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या	25	25	26	31[15]	33
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखों की संख्या	17	34	23	26	31
3.	बकाए लेखों की संख्या	213	186	191	196	199[16]
4.	प्रति सा0क्षे0उ0 का औसत बकाया (3/1)	8.52	7.44	7.35	6.32	6.03
5.	बकाए लेखों वाले कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या	25	23	25	29	29
6.	बकाए लेखों की सीमा (वर्ष)	1 से 21	1 से 21	1 से 22	1 से 23	1 से 23

1.20 30 सितम्बर 2014 को 33 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से केवल चार[17] सा0क्षे0उ0 ने वर्ष 2013–14 के अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया था एवं शेष 29 कार्यशील सा0क्षे0उ0 के विरुद्ध 199 लेखे बकाया थे। 29 कार्यशील कम्पनियों के लेखे एक से 23 वर्षों की अवधि के लिए बकाया में थे। यद्यपि सा0क्षे0उ0 के बकाये का औसत 2009–10 के 8.52 प्रति सा0क्षे0उ0 से घटकर 2013–14 में 6.03 प्रति सा0क्षे0उ0 हो गया, स्थिति दयनीय थी। लेखों के बकाये के कारण, लेखों की तैयारी/प्रमाणीकरण एवं वार्षिक आम सभा आयोजित करने में विलम्ब तथा मानव संसाधन की कमी थे।

1.21 उपरोक्त के अतिरिक्त, अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखों का अन्तिमीकरण भी बकाए में थे। 31 मार्च 2014 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से नौ सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया में थे। शेष 31 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में बकाए लेखों की सीमा 17 से 35 वर्षों तक था।

1.22 जैसा कि ***परिशिष्ट–1.6*** में दिया गया है, राज्य सरकार ने 32 सा0क्षे0उ0 में ₹ 5,982.80 करोड़ (अंश पूँजी : ₹ 689.56 करोड़, ऋण : ₹ 2,829.77 करोड़, अनुदान : ₹ 540.04 करोड़ तथा अन्य (अर्थसाहाय्य) : ₹ 1,923.43 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था। अन्तिमीकृत लेखों तथा उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा उचित तरीके से किया गया था तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उसकी प्राप्ति हुई थी कि नहीं। इस प्रकार सा0क्षे0उ0 में सरकार का निवेश राज्य की विधायिका की जाँच से वंचित रहा। साथ ही लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब का परिणाम कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे तथा सार्वजनिक कोष के क्षरण का जोखिम भी हो सकता है।

---

[15] उक्त आँकडों में पाँच नयी ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ सम्मिलित हैं जिनके व्यवसाय नवंबर 2012 से आरम्भ हुए।

[16] वर्ष 2012–2013 में कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या में तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को, इसके विघटन के फलस्वरूप पाँच नयी कम्पनियों में परिवर्तित होने से सम्मिलित नहीं होने के कारण, वर्ष 2012–2013 (30 सितंबर) के अंत में लेखाओं के अन्तिमीकरण का बकाया 197 के स्थान पर 196 लिया गया था।

[17] बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

1.23 प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये गए हैं। महालेखाकार द्वारा बकाया लेखों की स्थिति की सूचना मुख्य सचिव तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को दी गई (अक्टूबर 2014)। अपितु इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन सा0क्षे0उ0 के नेट वर्थ का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं हो सका।

1.24 उपरोक्त बकायों की स्थिति के सम्बन्ध में यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को लेखों के बकाये के शीघ्र समापन एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समय पर लेखों के अन्तिमीकरण हेतु प्रयास करना चाहिये।

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

1.25 31 मार्च 2014 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (सभी कम्पनियाँ) थीं । इनमें से 31 मार्च 2014 को नौ सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया के अंतर्गत थे। 2013–14 की अवधि में एक[18] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 ने वेतन, मजदूरी, स्थापना व्यय, इत्यादि पर ₹ 8.07 करोड़ का व्यय किया।

1.26 31 मार्च 2014 को अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की बन्दी के चरण, तालिका संख्या – 1.7 में दिये गये हैं।

तालिका संख्या – 1.7

क्रम संख्या	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें	योग
1.	अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या	40	–	40
2.	उपरोक्त (1) में से :			
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त किया गया था)	4[19]	–	4
(ब)	बन्द, अर्थात बन्द करने के आदेश/निर्देश निर्गत परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं/प्रगति में	5[20]	–	5

1.27 वर्ष 2013–14 के दौरान किसी सा0क्षे0उ0 का पूर्ण समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय आदेश द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 14 वर्षों के अधिक समय से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित होता है तथा इसका धारण/अनुसरण प्रभावशाली तरीके से किया जाना चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि, सरकार को, शेष 31 अकार्यशील सा0क्षे0उ0, जिनके अकार्यशील होने के बाद चालू रहने या ना रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, के समापन के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए।

---

[18] बिहार राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड।

[19] कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड।

[20] बिहार स्टेट फार्मास्युटिकल एंड केमिकल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट डेयरी कारपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार स्टेट हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कम्पनी लिमिटेड।

लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.28 वर्ष 2013–14[21] में 19[22] कार्यशील कम्पनियों ने अपने 28 लेखाओं को महालेखाकार को प्रेषित किया। इनमें से कम्पनियों के 16 लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किये गये। सी0ए0जी0 के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सी0ए0जी0 की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखों के रख–रखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभावों के विवरण तालिका संख्या – 1.8 में दिए गए हैं।

तालिका संख्या – 1.8

(राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2011–12		2012–13		2013–14	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	6	64.86	5	8.76	2	51.20
2.	हानि में वृद्धि	4	17.19	7	7.28	7	49.20
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	3.71	1	2.70	9	4914.22
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4	357.95

1.29 वर्ष 2013–14 के दौरान 20[23] कम्पनियों द्वारा अन्तिमीकृत 32[24] लेखाओं पर सशर्त्त प्रमाणपत्र दिये गये। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक था क्योंकि वर्ष के दौरान 10[25] कम्पनियों के 12 लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 15 मामले पाये गये।

1.30 वर्ष 2013–14 में कम्पनियों के अन्तिमीकृत लेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं:–

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2011–12)

कम्पनी द्वारा राज्य सरकार से विभिन्न परियोजनाओं के मद में प्राप्त निधि के अल्पकालिक जमा पर अर्जित ब्याज ₹ 26.39 करोड़ को अपनी अन्य आय मानते हुये लाभ–हानि खाता में लाभ के रूप में सम्मिलित किया गया जो कि लेखांकन मानक–9 (राजस्व) के विरुद्ध था। अर्जित ब्याज की राशि को चल दायित्वों के अन्तर्गत निधि में ही जमा किया जाना चाहिए था। यदि वर्ष 2011–12 में अर्जित ब्याज की राशि को राज्य सरकार की परियोजनाओं के मद में प्राप्त निधि में ही जमा दर्शाया जाता तब ₹ 24.15 करोड़ का शुद्ध लाभ, ₹ 2.24 करोड़ के शुद्ध हानि में परिवर्तित हो जाता।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (2011–12)

कम्पनी द्वारा राज्य सरकार से विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त निधि के अल्पकालिक जमा पर अर्जित ब्याज ₹ 22.80 करोड़ को अपनी अन्य आय मानते हुये

---

[21] अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 तक।

[22] ***परिशिष्ट–1.3*** की क्रम संख्या अ4, अ6, अ7, अ8, अ9, अ10, अ12, अ13, अ14, अ16, अ17, अ18, अ19, अ20, अ21, अ22, अ23, अ26, एवं अ28।

[23] कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (19) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (1)।

[24] कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (28) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (4)।

[25] ***परिशिष्ट–1.3*** की क्रम संख्या अ4, अ6, अ9, अ10, अ12, अ13, अ14, अ17, अ18 एवं अ26।

अपने लाभ एवं हानि खाता में सम्मिलित किया गया जो कि लेखांकन मानक—9 (राजस्व) के विरुद्ध था।

राज्य सरकार से प्राप्त निधि पर अर्जित ब्याज की राशि को अपनी आय दर्शाने के फलस्वरूप ₹ 22.80 करोड़ से अन्य आय तथा लाभ का अधिप्रदर्शन एवं दायित्वों का अंतःप्रदर्शन हुआ।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (2012—13)

ऋणों एवं अग्रिम की राशि में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विघटन के फलस्वरूप कम्पनी को हस्तांतरित वर्ष 2008—09 एवं 2009—10 में स्त्रोत पर कटौती की गयी आयकर की राशि ₹ 12.87 करोड़ सम्मिलित था। क्योंकि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने उक्त अवधि के लिये आयकर रिटर्न दायर नहीं किया था, यह काल बाधित हो गया था तथा इस राशि की वसूली संदिग्ध थी। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किये जाने के फलस्वरूप ऋणों एवं अग्रिम का अधिप्रदर्शन एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान तथा हानि का ₹ 12.87 करोड़ से अंतःप्रदर्शन हुआ।

1.31 इसी प्रकार, 2013—14[26] के दौरान दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने अपने तीन[27] लेखाओं को महालेखाकार को अग्रसारित किया जो कि लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखों के संधारण की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता इंगित करती हैं। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभाव की विवरणी तालिका संख्या— 1.9 में दी गयी है।

तालिका संख्या— 1.9

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2011—12		2012—13		2013—14	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	0.33	1	0.19	1	3.75
2.	हानि में वृद्धि	1	1,888.94	शून्य	शून्य	1	0.64
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	शून्य	शून्य	1	2.70	1	4.05

1.32 वर्ष 2013—14 के दौरान अन्तिमीकृत किये गये एक सांविधिक निगम यथा बिहार राज्य भण्डारण निगम के लेखों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नवत् हैं :

बिहार राज्य भण्डारण निगम (2009—10)

भण्डारण निगम द्वारा मार्च 2010 तक के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम के सामूहिक गैच्युटी योजना के मद में ₹ 2.73 करोड़ के दायित्व के विरुद्ध केवल ₹ 7.50 लाख का प्रावधान किया गया। फलस्वरूप वर्ष 2009—10 में ₹ 2.65 करोड से लाभ का अधिप्रदर्शन एवं उतनी ही राशि से सामूहिक गैच्युटी योजना हेतु प्रावधान का अंतःप्रदर्शन हुआ।

1.33 सांविधिक अंकेक्षकों (सन्दी लेखाकारों) को सी0ए0जी0 के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत, उनके द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली कम्पनियों में आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक

[26] अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 तक।
[27] बिहार राज्य वित्त निगम (2012—13) (2013—14) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (2004—05)।

लेखापरीक्षा के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा सुधार योग्य क्षेत्रों की पहचान करनी होती है। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा 2012–13 के लिए 13 कम्पनियों[28] तथा 2013–14 के लिए 20 कम्पनियों[29] के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण में सम्भव सुधार पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों के निर्देशीसार का विवरण तालिका संख्या– 1.10 में दिया गया है।

तालिका संख्या– 1.10

क्रम संख्या	सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनमें अनुशंसाएँ की गयीं	*परिशिष्ट–1.2* में कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	भण्डार एवं पुर्जे की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	03	अ–9, अ–17, अ–19.
2.	कम्पनी के प्रकृति एवं व्यवसाय के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था का अभाव	20	अ–4, अ–6 अ–7, अ–8, अ–9, अ–10, अ–12, अ–13, अ–14, अ–16, अ–17, अ–18, अ–19, अ–20, अ–21, अ–22, अ–23, अ–26, अ–28, स–17।
3.	परिमाणात्मक विवरण, अवस्थिति, पहचान संख्या, प्राप्ति की तिथि, अचल सम्पत्तियों के ह्रासित मूल्य सहित अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना।	15	अ–4, अ–7, अ–8, अ–9, अ–10, अ–14, अ–16, अ–17, अ–18, अ–19, अ–20, अ–21, अ–22, अ–26, स–17।

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.34 2013–14 के दौरान औचित्य लेखापरीक्षा में ₹ 81.98 करोड़ रुपये की वसूली के मामले सा0क्षे0उ0 के प्रबंधन को इंगित किए गए थे, जिनमें से ₹ 14.21 करोड़ की वसूली के मामले सा0क्षे0उ0 द्वारा स्वीकार किये गये। वर्ष 2013–14 में, ₹ 3.11 करोड़ की राशि की वसूली की गयी।

पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.35 तालिका संख्या– 1.11 में सांविधिक निगमों के लेखे पर सी0ए0जी0 द्वारा निर्गत पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ0ले0प0प्र0) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया है।

---

[28] ***परिशिष्ट–1.3*** की क्रम संख्या अ–1, अ–8, अ–10, अ–11, अ–12, अ–13, अ–16, अ–23, अ–25, अ–26, अ–28, स–4 एवं स–17।

[29] ***परिशिष्ट–1.3*** की क्रम संख्या अ–4, अ–6 अ–7, अ–8, अ–9, अ–10, अ–12, अ–13, अ–14, अ–16, अ–17, अ–18, अ–19, अ–20, अ–21, अ–22, अ–23, अ–26, अ–28 एवं स–17।

तालिका संख्या– 1.11

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका में प्रस्तुत की गई	वर्ष जिसका पृ0ले0प0प्र0 विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गई		
			पृ0ले0प0प्र0 का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	पृ0ले0प0प्र0 को विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
1.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2007–08	2008–09 2009–10	28 फरवरी 2011 8 जनवरी 2014	पृ0ले0प0प्र0 को विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए।
2.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2010–11	2011–12 2012–13	23 मार्च 2013 20 मार्च 2014	
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973–74	1974–75 से 2002–03 (30) विवरण निम्नतः		
			1991–92	09 जून 1997	
			1992–93	02 सितम्बर 1998	
			1993–94	02 सितम्बर 1998	
			1994–95	04 दिसम्बर 1998	
			1995–96	18 अप्रैल 2000	
			1996–97	19 मार्च 2004	
			1997–98	19 अक्टूबर 2004	
			1998–99	12 अप्रैल 2005	
			1999–2000	07 अक्टूबर 2005	
			2000–01	24 सितम्बर 2007	
			2001–02	26 अक्टूबर 2007	
			2002–03	25 जनवरी 2010	
			2003–04	20 मई 2014	

पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर वैधानिक नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगम की जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने में विलम्ब के विषय को सी0ए0जी0 द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार के ध्यान में दिसम्बर 2010 में लाया गया था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में कोई सुधार नहीं आया। महालेखाकार द्वारा इस विषय को प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, के ध्यान में (मई 2011) लाया गया तथा अद्यतन स्मार पत्र फरवरी 2014 में भेजा गया। सरकार को पृ0ले0प0प्र0 को तत्परता से विधायिका को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.36 राज्य सरकार द्वारा सा0क्षे0उ0 के विनिवेश, निजीकरण एवं पुर्नसंरचना के लिए 2013–14 में कोई कदम नहीं उठाया गया। हालाँकि राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या–17 दिनांक 30 अक्टूबर 2012 द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का, ''बिहार राज्य विद्युत सुधार स्थानान्तरण योजना 2012'' के अंतर्गत पुनर्गठन कर पाँच कम्पनियों में विघटित किया। झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद, सभी सा0क्षे0उ0 की पुर्नसंरचना की जानी थी। 12 सा0क्षे0उ0 की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ–साथ प्रबन्धन के बँटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया था। तथापि, इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा0क्षे0उ0[30] के सम्बन्ध में ही किया गया था (सितम्बर, 2014)।

[30] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।